न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—11/2021 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयु फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजिकृत कार्यालय—19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर—302001 राजस्थान्।
——**प्रार्थी**

बनाम

1. बंसीलाल पुत्र श्री मदनलाल जाति कुम्हार पता—12, दुर्गा फ्लोर मील के पास वार्ड नं. 20 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
——**(मूल ऋणी)**
2. मदनलाल पुत्र श्री मानाराम जाति कुम्हार पता—27, वार्ड नं. 13, रावतसर तहसील रावतसर एवं मदनलाल पता—रिहायशी प्लाट वार्ड नं. 01, जोधा वाला बास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
——**(सह ऋणी)**
3. श्रीमती रामी पत्नी मदनलाल जाति कुम्हार पता—27, वार्ड नं. 13, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
——**(सह ऋणी)**
4. भागीरथ वर्मा पुत्र श्री मदनलाल जाति कुम्हार पता—दुर्गा फ्लोर मील के पास वार्ड नं. 01 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
——**(सह ऋणी)**

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

आदेश

दिनांकः—08.07.2021

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) की ओर श्री पराग जैन वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. पूर्व में एयु फाईनेसर्स (इण्डिया) लि. के नाम से नॉन बैंकिग कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध थी जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर था जिसका नाम एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. कर दिया गया एवं इसकी बाबत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के जयपुर कार्यालय से नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिसके सीआईएन नं. एल 36911 आरजे 1996 पीएलसी 011381 है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के नाम से भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस सं0 एमयुएम 126 प्रदत किया गया एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा—42 की उपधारा 6 के खण्ड 'क' के अनुसारण में अधिनियम की दूसरी अनुसूचि में सम्मिलित करने की अधिसूचना दिनांक 18.9.2017 को जारी की गई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित हुई। इस प्रकार एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि. जिसके द्वारा विपक्षीगण को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। वर्तमान में एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के नाम से कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर में

WEB COPY - NOT OFFICIAL

स्थित व कार्यरत है। बैंक जो एक निगमित निकाय है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है।

अप्रार्थीगण ने दिनांक 08.07.2015 को 'लॉन एग्रीमेन्ट' के तहत 8,00,000/–रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्योरिटी के रूप में नगरपालिका, रावतसर द्वारा जारी लीजडीड एक रिहायशी भूखण्ड दिनांक 24.01.2013 पैमाईशी 300 वर्गगज है अर्थात 2699 वर्गफुट है जो कि मदनलाल पुत्र श्री मानाराम जाति कुम्हार सा. रावतसर जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है। उक्त भूखण्ड की रजि. सब–रजिस्ट्रार रावतसर द्वारा दिनांक 21.03.2013 को मदनलाल के पक्ष में पंजीकृत की गई है जिसको अप्रार्थी सं. 02 मदनलाल व अन्य अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 03.12.2019 को ऋणी के खाता को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 6,79,862/–रूपये (अखरे छः लाख उनयासी हजार आठ सौ बांसठ रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियां व अन्य खर्चे दिनांक 16.01.2020 तक शेष व देय निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17.01.2020 अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 25.01.2020 को प्रेषित किया जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना पत्र समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 02.10.2020 को जारी की थी। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नही किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक को उसके पास बंधक रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है।

अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना तथा दो अखबारो में मांग सूचना प्रकाशित होना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी उक्त नगरपालिका, रावतसर द्वारा जारी लीजडीड दिनांक 24.01.2013 एक रिहायशी भूखण्ड पैमाईशी 300 वर्गगज है अर्थात 2699 वर्गफुट है जो कि मदनलाल पुत्र श्री मानाराम जाति कुम्हार सा. रावतसर जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.(पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.(पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) को उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.(पूर्व में एयू फाईनेंसर्स

जिला कलक्टर हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़